

मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिए विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, 2009
अंतर्गत प्राप्त आवेदन की चेकलिस्ट

फर्म का नाम-----आवेदन दि-----

क्र0	विवरण	हाँ/नहीं	परिशिष्ट क्रमांक पेज संख्या
1	लेटरहेड पर आवरण पत्र		
2	आवेदन फीस - ₹1000 का डिमांड ड्राफ्ट।		
3	अनुज्ञप्ति फीस - ₹20000 का डिमांड ड्राफ्ट।		
4	आवेदन फॉर्म प्ररूप - एक, प्रारूप - दो (सभी बिंदुओं की पूर्ति की जाना आवश्यक है, जो भी बिंदु लागू न हो उसके संबंध में स्पष्ट "लागू नहीं" / "Not Applicable" अंकित किया जाए।)		
5	प्ररूप - चार एवं आवश्यक प्रतिभूति (एफडीआर या बैंक गारंटी) (आवेदन के साथ नहीं दिया गया हो तो अनुज्ञप्ति स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर प्रस्तुत किया जाए।)		
6	आवेदक का प्राधिकार पत्र (पावर ऑफ अटॉर्नी)।		
7	आवेदक का PAN कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ तथा एड्रेस प्रूफ।		
8	आवेदक/ प्रोपराइटरशिप फर्म/ पार्टनरशिप फर्म/ कंपनी/ एफपीसी/ अन्य का पंजीयन प्रमाणपत्र।		
9	आवेदक/ प्रोपराइटरशिप फर्म/ पार्टनरशिप फर्म/ कंपनी/ एफपीसी/ अन्य का GST पंजीयन।		
10	आवेदक/ प्रोपराइटरशिप फर्म/ पार्टनरशिप फर्म/ कंपनी/ एफपीसी/ अन्य का PAN कार्ड।		
11	पार्टनरशिप फर्म/ कंपनी/ एफपीसी/ अन्य के सदस्यों/संचालकों का विवरण।		
12	पार्टनरशिप फर्म/ कंपनी/ एफपीसी/ अन्य के सदस्यों/संचालकों के PAN कार्ड।		

13	पार्टनरशिप फर्म/ कंपनी/ एफपीसी/ अन्य के सदस्यों/संचालकों के आइडेंटिटी प्रूफ तथा एड्रेस प्रूफ।		
14	अधिसूचित कृषि उपज के क्रय हेतु मंडी क्षेत्रों की सूची, उनका लेआउट, भंडारण स्थल, गोदाम की क्षमता, कार्यालय का पता		
14	प्रत्येक मंडी क्षेत्र में पदस्थ समस्त कर्मचारी की पदीय हैसियत के साथ उनके नाम/ पिता का नाम। उक्त कर्मचारियों के आइडेंटिटी प्रूफ तथा एड्रेस प्रूफ।		
16	अधिसूचित कृषि उपज के क्रय हेतु स्थापित किये जाने वाले क्रय केंद्रों की सूची, उनका लेआउट, भंडारण स्थल, गोदाम की क्षमता, किरायानामा।		
17	मंडी क्षेत्र में उपलब्ध स्थावर संपत्ति का विवरण एवं दस्तावेज।		
18	पूर्ववर्ती वर्ष का आयकर रिटर्न।		
19	पूर्ववर्ती वर्ष का बैलेंस शीट।		
20	पूर्ववर्ती वर्ष का चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा ऑडिट रिपोर्ट।		
21	बैंक खाता/ खाते का सत्यापित विवरण।		
22	अधिसूचित कृषि उपज का व्यापार करने हेतु उपलब्ध पूंजी की जानकारी।		
23	पूर्व से मंडी का अनुज्ञप्तिधारी होने पर अनुज्ञप्ति की सत्यापित छायाप्रति।		
24	नियम 10(1) अनुसार क्रय केंद्र पर आवश्यक प्रसुविधाओं की स्थापना का प्रमाणीकरण।		
25	विशेष - वार्षिक क्रय क्षमता (जो नियम 4 के उपनियम 2 अनुसार होनी चाहिए)		
26	अन्य संबंधित जानकारी।		